भीवपाल बनाम मोतराम मु.नं. 15/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
7-4-25	[illegible] ही	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 15/2022

1 शिवपाल पुत्र मंगलाराम उम्र 63 साल जाति जाट निवासी ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 मोटाराम दत्तक पुत्र हनुमान उम्र 58 साल जाति जाट निवासी ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
2 तहसीलदार धोद।
3 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा फागलवा जरिए शाखा प्रबंधक।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय
सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर पीठासीन अधिकारी
श्रीमती मुनेश कुमारी आरएएस दावा संख्या 113/2020
उनवानी मोटाराम बनाम शिवपाल आदि दिनांकित 01.11.2021

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र पारिक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 7/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 113/2020 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 151, 152, 56, 568, 568/803, 57 वाके ग्राम सिहोट छोटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन वाद में इस वस्तुस्थिति को छुपाया गया है कि विवादित भूमियों का जो बाहमी विभाजन हो रखा है उसके तहत अपीलान्ट को जमीन के उतार चढ़ाव के अनुसार दो बीघा जमीन अधिक बाहमी विभाजन में मिली हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त तथ्य को छुपाकर विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूप से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित 01.11.2021 पारित करवायी गयी। अपीलाधीन वाद के अपीलान्ट की तामीली कार्यवाही विधिवत रूप से सम्पादित नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में बिना साक्ष्य वादी करवाये बिना ही अवैध रूप से वाद को साबित मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बसाजिश रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.11.2021 की आड में मनमाना विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर विचारण न्यायालय से तारीख पेशी छोटी करवाकर अवैध रूप से अंतिम डिक्री पारित करवाकर अपीलांट को उसके हक, हिस्से की भूमि पर से बलात बेदखल करने पर अमादा फसाद हो रखा है। यदि वह अपनी कुचेष्टाओं में कामयाब हो जाता है तो अपीलान्ट का अपील दायरी का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा तथा उसे ऐसी अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अन्य रूप में किया जाना संभव नहीं हो पायेगा। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006(1) राज पेज 276, आरएलडब्ल्यू 2008(2) पेज 1142 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी मोटाराम द्वारा प्रतिवादी शिवपाल के विरूद्ध ग्राम सिहोट छोटी की भूमि खसरा नम्बर 151, 152, 56, 568, 568/803, 57 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को विधिक प्रकिया अनुसार दिनांक 07.12.2020 को दिनांक 29.12.2020 के लिए सम्मन जारी किये। जो सम्मन जरिये चश्पांदगी तामील करवाये गये है। तामील के उपरांत प्रतिवादी अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी को सुनकर विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इस प्राथमिक डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट के पास आपत्ति एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादी मोटाराम द्वारा प्रतिवादी शिवपाल के विरूद्ध ग्राम सिहोट छोटी की भूमि खसरा नम्बर 151, 152, 56, 568, 568/803, 57 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को विधिक प्रकिया अनुसार दिनांक 07.12.2020 को दिनांक 29.12.2020 के लिए सम्मन जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किये। जो सम्मन जरिये चशपांदगी तामील करवाये गये है। तामील के उपरांत प्रतिवादी अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी को सुनकर विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इस प्राथमिक डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट के पास आपत्ति एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं साक्ष्य का गुणावगुण पर निस्तारण किया जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 7/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते